निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0/ 31 /प्रा0पत्र/19

मेसर्स पाटीदार ट्रेक्टर्स प्रो0जगदीश चन्द कुल्मी आ0 अमरचन्द नि0 लाल बाग,झालरापाटन
बनाम
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडोदा झालरापाटन

प्रा0पत्र तथ्यों को छूपाकर मिथ्या शपथ पत्र पेश करने वाले बैंक मेनेजर के विरूद्ध कार्यवाही बाबत।

उपस्थितः– श्री जितेन्द्र कुमार सोनी,अभिभाषक प्रार्थी
श्री विष्णु कुमार हाड़ा,प्राधिकृत अधिकारी,बैंक ऑफ बडोदा,झालरापाटन

–: निर्णय :– दिनांकः 22.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा बैंक ऑफ बडोदा से दिनांक 18.10.2014 को ओ.डी. बैंक लि0 बनवायी थी जिसमें सूचारू रूप से लेन देन चल रहा था, बैंक द्वारा प्रार्थी को दिनांक 12.12.2018 को 6196687/– रूपये ऋण वसूली बाबत नोटिस दिया गया जिसका जवाब दिनांक 07.02.2019 को दिया गया। तत्पश्चात बैंक द्वारा दिनांक 16.04.2019 को सरफेसी एक्ट के तहत बन्धक सम्पत्ति सुपुर्दगी हेतु प्रा0पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया उक्त प्रा0पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में बैंक मेनेजर द्वारा तथ्यों को छूपाकर गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र की मद संख्या 7 में अंकन किया गया है कि सरफेसी एक्ट के तहत कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ है। जबकि प्रार्थी ने दिनांक 07.02.2019 को सरफेसी एक्ट की धारा 13(3) A के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया व उक्त प्रतिवेदन का जवाब बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया(प्रति संलग्न) बैंक मेनेजर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही की गई है, प्रार्थी द्वारा जमा किये गये ऋण की राशि को नही दर्शाया व सरफेसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन किया गया है। तथ्यों को छूपाकर मिथ्या शपथ पत्र पेश करने वाले बैंक मेनेजर के खिलाफ जांच कर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर बैंक मेनेजर बैंक ऑफ बडोदा,झालरापाटन को जर्ये सूचना पत्र तलब किया गया।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि बैक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का सरफेसी एक्ट के तहत निस्तारण कराया गया है तथ्यों को छूपाकर मिथ्या शपथ पत्र पेश करने वाले बैंक मेनेजर के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जावे। इस पर प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडोदा द्वारा व्यक्त किया गया कि शपथ पत्र की मद संख्या 7 में टाईपिंग एरर के कारण भूलवश " यह कि मद न. 1 में वर्णित ऋणियों से सरफैसी एक्ट की कार्यवाही बाबत् कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ है" अंकित हो गया था जबकि उपरोक्त प्रकरण में ऋणियों की ओर से सरफैसी एक्ट की कार्यवाही बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए स्वीकार नही करने के कारणों से जवाब देते हुए ऋणियों को अवगत करा दिया गया था। इस पर अभिभाषक प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.05.2019 को 11 लाख रू0 बैंक में जमा करवाये गये थे किन्तु बैंक द्वारा उक्त राशि का समायोजन नही किया जाकर ज्यादा राशि की वसूली हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, इसी तरह न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 में अप्रार्थी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की गई थी किन्तु बैंक द्वारा एक माह पूर्व ही दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थी के खाते से पुलिस चार्ज के नाम से राशि आहरित करली गई है जो गलत है। इस पर प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडोदा द्वारा व्यक्त किया कि सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) की कार्यवाही उपरान्त उसी राशि की मांग की जाती है जो धारा 13(2) में अंकन की जाती है उक्त कार्यवाही पश्चात प्रार्थी द्वारा जो राशि जमा कराई जाती है उक्त राशि का समायोजन कर प्रोपर्टी के बैचान उपरान्त प्राप्त राशि में से बैंक के खर्चे ब्याज व मूल राशि को समायोजित कर शेष राशि को प्रार्थी को वापस कर दिया जाता है, इसी कम में दिनांक 26.06.2019 को बैंक द्वारा जो राशि आहरित की गई है वह राशि बैंक में रहन की गई प्रोपर्टी का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस विभाग को जमा करवाने हेतु की गई है और माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में निर्णय की दिनांक से एक माह पश्चात ही उक्त रहन प्रोपर्टी का पजेशन व अग्रिम कार्यवाही की जानी तय थी। प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडोदा द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गये कथन व दिनांक 15.07.2019 को प्रस्तुत जवाब से हम सहमत है कि शपथ पत्र की मद संख्या 7 में टाईपिंग एरर के कारण भूलवश " यह कि मद न. 1 में वर्णित ऋणियों से सरफैसी एक्ट की कार्यवाही बाबत् कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ है" अंकित हो गया था, उनके कथन को इस बात से भी बल मिलता है कि बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत कार्यवाही करने पर ऋणियों की ओर से सरफैसी एक्ट की कार्यवाही बाबत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त प्रतिवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए स्वीकार नही करने के कारणों से जवाब देते हुए ऋणियों को अवगत करा दिया गया था। सरफेसी एक्ट में स्पष्ट किया गया है –सरफेसी एक्ट की धारा 13(4),17 एंव 34 अधिनियम की विधिमान्यता– न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ऋणी से वसूली– ऋणी को इसके विरूद्ध उपाय उपलब्ध–ऋणी उसको दिये जाने वाले नोटिस पर आपत्ति कर सकता है। आपत्ति,यदि कोई उठाई गई है, पर अर्थपूर्ण विचार अवश्य करना चाहिये। आपत्ति को अस्वीकार करने के कारण ऋणी को सूचित करने चाहिये–ऋणी के पास,वसूली उपाय किये जाने के पश्चात ऋण वसूली अधिकरण में जाने का अधिकार भी है। वह छल–कपट एवं विसंगति की दशा में सिविल न्यायालय में भी जा सकता है। इस प्रकार ऋणी को युक्तियुक्त उचित व्यवहार मिलेगा। हमारी राय में बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की गाईड लाईन के अनुसरण में समस्त कार्यवाही किया जाना तो जाहिर है किन्तु न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 में अप्रार्थी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की गई थी उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही बैंक में रहन की गई प्रोपर्टी का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस विभाग को जमा करवाने हेतु राशि आहरित करने की कार्यवाही को उचित नही ठहराया जा सकता। हमारी राय में इस प्रा0पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष नही दिया जा सकता । अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व की गई कार्यवाही के कम में प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडोदा,झालरापाटन को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण पालना करें तथा इस प्रकरण में आज निर्णय की दिनांक से एक माह पश्चात वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करें। यह अवधि प्रार्थी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु दी जाती है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थी किसी छल–कपट एवं विसंगति की दशा में सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतन्त्र है।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड